



**बिहार सरकार**  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-**FL-501**

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय भा० व० से०  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक- **04/07/2019**

विषय - बाँका जिलान्तर्गत ग्राम मसुदनपुर में IOCL के बॉटलिंग प्लान्ट के (Entrance/ Exit and Emergency Exit Point) पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1239 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/37366/2018/3168 दिनांक 30.05.2019

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वरीय प्रबंधक (एल.पी.जी. प्रोजेक्ट), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (वि० प्र०), इण्डेन बॉटलिंग प्लान्ट, बाँका के पत्रांक BKBK/LPG/FOREST/2019/01 दिनांक 21.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है-

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 21.06.2019 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन भूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	<b>Compensatory Afforestation:</b> The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The user	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रु० 7,04,410/- (रुपये सात लाख चार हजार चार सौ दस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।



	agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department. Revised CA scheme shall be submitted by the State Forest Department before issuance of final approval.	
3	<b>Net Present Value (NPV):</b> a) The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition ..	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.1239 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 77,561/- (रुपये सतहतर हजार पाँच सौ एकसठ) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
	b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।
4	User Agency should ensure that the Compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the State-I clearance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद कि कुल राशि रु० 7,81,971/- (रुपये सात लाख इक्कासी हजार नौ सौ एकतहर) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No.SBIN619171940043 दिनांक 20.06.2019 एवं राशियाँ Ministry website पर प्रदर्शित है।
5	The User Agency shall submit the FRA certificate as per the Ministry's letter No. 11-09/98-FC (pt.) dated 28.10.2014 before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures all around the plant in consultation with concerned DFO.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के उपरान्त इन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना से संबंधित Environment Clearance प्राप्त कर लिया गया है। स्वीकृति प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction .....	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में मजदूरों एवं अन्य कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।



9	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है कि पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति के बिना परियोजना lay out plan में बदलाव नहीं किया जायेगा।
10	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।
11 (a)	The forest land under diversion shall not be used for any purposed other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
b	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29-01-2018	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि यह शर्त उन्हें मान्य है।
13	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश एवं नियम का पालन किया जायेगा।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-I में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन Ministry website पर uploaded कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1239 हे० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार प्रटना।



ज्ञापांक— FC-501

दिनांक— 04/07/2019

प्रतिलिपि— वरीय प्रबंधक (एल.पी.जी. प्रोजेक्ट), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (वि०प्र०), इण्डेन बॉटलिंग प्लान्ट, बाँका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका वन प्रमंडल, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित


(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।



## Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Regional Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Banka/ Forest Division-Banka				
3	Name of User Agency nature of proposal	Sr. Manager (LPG Project) IOCL (MD) Indain Bottling Plant Banka, Bihar				
4	Extent of forest area involved	0.1239 ha				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA				
7	Date of 1st stage Clearance	30.05.2019				
8	<b>Extent of CAMPA charges head wise viz.</b>					
	a. Compensatory Afforestation	7,04,410/-				
	b. Additional CA					
	c. Penal CA					
	d. Catchment Area Treatment					
	e. Wildlife Management Plan					
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas					
	g. Net present Value	77,561/-				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)					
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	S. No	MODE Remtt.	UTR No. and Dated	Amount	Head
		1	RTGS	SBIN619171940043 dt. 20.06.2019	77,561/-	NPV
					7,04,410/-	CA
				<b>TOTAL</b>	7,81,971/-	
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 20.06.2019				
11	Bank [Corporation Bank, Lodi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 20.06.2019				
12	Any other remarks					

  
 Signature of APCCF (CAMPA),  
 -Cum-Nodal Officer (FC)